213

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक एफ.1(42)आरबी/2018/7331 दिनांक : 11 सितम्बर, 2018

कार्यवाही विवरण

राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण हेतु सचिव, राज्यपाल द्वारा राजभवन में दिनांक 20.08.2018 को प्रातः 10.30 से अपरान्ह 1.00 बजे तक आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलसचिवगण/वित्तनियंत्रकगण से हुई चर्चा का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है ::–

1. राजभवन की ओर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सचिव, राज्यपाल, प्रभारी अधिकारी उच्च शिक्षा, विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक, DoIT&C उपस्थित हुए।

2. सर्वप्रथम सचिव, राज्यपाल ने राजभवन के विश्वविद्यालय अनुभाग की ओर से आयोजित प्रथम वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी कुलसचिवगण/वित्त नियंत्रकगण का स्वागत किया एवं बिन्दुवार एजेन्डा पर चर्चा आरम्भ की। प्रत्येक बिन्दु पर चर्चा की गई एवं सुझाव भी प्राप्त किये गये । **वीडियो कान्फ्रेंसिंग में की गई चर्चा, प्राप्त सुझाव एवं निर्देशों की कियान्विति के लिए निर्धारित समय–सीमा का संक्षिप्त विवरण संलग्नक 1 पर संलग्न है ।**

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समापन सम्बोधन में सचिव राज्यपाल ने सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के उच्च शिक्षा की उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता के प्रति गंभीर रूख से अवगत कराया एवं समय–समय पर जारी निर्देशों की समयबद्ध पालना हेतु विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया। समाचार पत्रों में विश्वविद्यालयों से संबंधित नकारात्मक खबरें प्रकाशित होने को गंभीरता से लेते हुए आग्रह किया गया कि समाचार पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक खबरों का संज्ञान लेकर उनका तुरन्त खण्डन किया जावे एवं प्रकाशित समाचार से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य सरकार एवं राजभवन को तुरन्त प्रेषित की जावे।

सचिव, राज्यपाल द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि आज की विडियो कांफ्रेसिंग में हुई चर्चा की अनुपालना में संलग्नक –1 के अनुसार निर्धारित समय सीमा में बिंदुवार पालना सुनिश्चित की जाकर पालना रिपोर्ट राजभवन को प्रस्तुत की जावे।

सचिव, राज्यपाल द्वारा आगामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सितम्बर माह के तृतीय सप्ताह में आयोजित किये जाने के संबंध में सूचित किया गया।

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

यह कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा

214

क्रमांक एफ.1(42)आरबी / 2018 / 7332

दिनांक : 11 सितम्बर, 2018

कार्यवाही विवरण निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव, श्रम, कौशल एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय।
9. कुलसचिवगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय।
10. प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा, राजभवन, जयपुर।
11. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राजभवन, जयपुर।
12. निजी सहायक, विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
13. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
14. उपसचिवराज्यपाल– द्वितीय, राजभवन, जयपुर।
15. वित्त नियंत्रकगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय।
16. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्ष

संलग्नक 1

एजेन्डा कमांक	एजेन्डा बिन्दु	उप बिन्दु	चर्चा	सुझाव/ निर्देश	पालना हेतु निर्धारित समय–सीमा
1	राजभवन द्वारा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व प्रशासनिक उत्कृष्टता के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 04.07.2018 की बिंदुवार पालना।	(i) शोध कार्यों में गुणवत्ता	राजभवन द्वारा जारी पीएच.डी गाईडलाईन संबंधी परिपत्र दिनांक 21.4.2017 के अनुरूप विश्वविद्यालयों द्वारा सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड की जानी थी किन्तु चर्चा में पाया गया कि विश्वविद्यालयों द्वारा सूचनाएं अपलोड नहीं की जा रही हैं अथवा आंशिक तौर पर अपलोड की जा रही हैं। साथ ही विश्वविद्यालयों को गाईडलाइन के अनुरूप Anti Plagiarism Software स्थापित करना था जो कि नहीं किया गया है।	विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया गया कि वे समयबद्ध रूप से समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड करें। साथ ही वेबसाइट को अद्यतन रखें। Anti Plagiarism Software संबंधी पालना दिनांक 20.10.2018 तक सुनिश्चित करें। इसके लिए विश्वविद्यालय, यदि आवश्यकता हो तो, दिल्ली विश्वविद्यालय या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से सॉफ्टवेयर के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करें।	20.10.2018
		(ii) पाठ्यकमों की समीक्षा	चर्चा में पाया गया कि विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यकमों की समीक्षा हेतु कमेटी गठित कर ली गई है किन्तु या तो गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पाठ्यकम वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है अथवा अकादमिक सत्र शुरू होने के पश्चात् अपलोड किया जा रहा है।	राजभवन द्वारा पूर्व में इस संबंध में जारी निर्देशों के कम में विश्वविद्यालयों को पाठ्कम अद्यतन संबंधी गठित कमेटी की मीटिंग बुलाकर पाठ्यकमों की समीक्षा संबंधी कार्य दिनांक 31.08.2018 तक पूर्ण कर सूचना वेबसाइट पर अपलोड कराने का सुझाव दिया गया।	31.08.2018
		(iii) बायोमैट्रिक उपस्थिति	चर्चा में पाया गया कि विश्वविद्यालयों में बायो–मैट्रिक उपस्थिति ली जा रही है किन्तु तीन कारणो यथा(1)बायो–मैट्रिक मशीन नहीं है, (2)बायो–मैट्रिक मशीन खराब है, (3) बायो–मैट्रिक मशीन है किन्तु उपस्थिति तकनीकी कारणों से नहीं ली जा रही है के कारण बायो–मैट्रिक उपस्थिति की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में बताया गया कि Thumb Impression लेने में कठिनाई आती है।	इस संबंध में श्रीमती ज्योति लुहाड़िया, संयुक्त निदेशक, DoIT&C ने अवगत कराया कि DoIT&C द्वारा कुछ फर्मों के साथ स्टेण्डर्ड बायोमैट्रिक मशीन कय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट कर रखा है जिसकी सूची विश्वविद्यालयों को मेल कर दी जावेगी। विश्वविद्यालय उनके यहां पदस्थापित वित्त नियंत्रक की सलाह से बायोमैट्रिक मशीन कय की कार्यवाही करे। सचिव, राज्यपाल द्वारा राजभवन से इस संबंध में जारी पूर्व आदेशों के कम में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक मशीन की स्थापना व निर्बाध संचालन कार्य बाबत प्रमाण पत्र दिनांक 01.09.2018 तक राजभवन सचिवालय को प्रेषित किये जाने का आग्रह किया। साथ ही इस बिन्दु को आगामीवीडियो कान्फ्रेंसिंग के एजेन्डा बिन्दु में सम्मिलित करने का निर्देश दिया।	01.09.2018

Scanned by CamScanner

		(iv)विद्यार्थियों की उपस्थिति	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों ने बताया कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति नियमित है कुलसचिव, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा बताया गया कि उनके विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु Self Service Portal बनाया गया है जिस पर विद्यार्थी स्वयं लॉग–इन कर अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।	सचिव, राज्यपाल द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को विद्यार्थियों की उपस्थिति हेतु की गई व्यवस्थाकी जानकारी सभी अन्य राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के साथ साझा करने के निर्देश दिये एवं विश्वविद्यालयों को कहा कि वे इस संबंध में कुलसचिव, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के साथ संपर्क बनाएं। राजभवन द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों की पालना एवं अनुपस्थित विद्यार्थियों के अभिभावकों को मोबाईल/एस.एम.एस./ई–मेल द्वारा सूचित करने के निर्देशों की पालना हेतु सचिव, राज्यपाल द्वारा दिनांक 20.11.2018 तय की गई।	20.11.2018
		(v)प्लास्टिक मुक्त एवं हरा–भरा, स्वच्छ परिसर	विश्वविद्यालयों द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में समुचित व्यवस्था है, वृक्षारोपण आदि कार्य किये जा रहे हैं।	विश्वविद्यालयों को इस संबंध में अपने स्तर पर आवश्यक व प्रभावी कदम उठाने का सुझाव दिया गया।	
		(vi)स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	विश्वविद्यालयों द्वारा अवगत कराया गया कि स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था की हुई है।	विश्वविद्यालयों को इस संबंध में अपने स्तर पर आवश्यक व प्रभावी कदम उठाने का सुझाव दिया गया।	
		(vii)गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत	कतिपय विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि सौर ऊर्जा के प्लांट्स विश्वविद्यालय में स्थापित किये गए हैं तथा ओर संभावनाएं तलाश की जाकर कार्ययोजना तैयार की जाएगी।	विश्वविद्यालयों को इस संबंध में अपने स्तर पर आवश्यक व प्रभावी कदम उठाने का सुझाव दिया गया।	
		(viii)छात्रावास संबंधी निर्देश	विश्वविद्यालयों द्वारा अवगत कराया गया कि राजभवन द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी।	विश्वविद्यालयों को इस संबंध में अपने स्तर पर आवश्यक व प्रभावी कदम उठाने का सुझाव दिया गया।	
		(ix)महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती पर समारोह कर आयोजन	विश्वविद्यालयों द्वारा अवगत कराया गया कि महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर समारोह आयोजित किया जावेगा।	इस संबंध में विश्वविद्यालयों को राजभवन द्वारा संदर्भित परिपत्र में निर्देशित गतिविधियों को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती को समारोह पूर्वक धूमधाम से मनाने एवं व्यापक स्तर पर आयोजित करने का आग्रह किया गया।	
2	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में सत्र 2018–19 के लिए जारी अकादमिक एवं अवकाश कलेन्डर की पालना।	चर्चा के दौरान प्रकट हुआ कि कतिपय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मॉडल अकादमिक व अवकाश कलेण्डर की पालना नहीं की जा रही है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी (उच्च शिक्षा) राजभवन द्वारा स्पष्ट किया गया कि पूर्व जारी निर्देशों के अनुरूप सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में अवकाश केलेण्डर समान रहेगा।		जिन विश्वविद्यालयों से अकादमिक एवं अवकाश केलेण्डर की पालना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है उन्हें दिनांक 31.08.2018 तक आवश्यक सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा राजभवन द्वारा विश्वविद्यालयों को कुलपति द्वारा घोषित किये जाने वाले 3 अवकाश तय किये जाकर सूचना राजभवन को 31.08.2018 तक प्रेषित करने का सुझाव दिया गया।	31.08.2018

Scanned by CamScanner

3	अशैक्षणिक पदों पर भर्तियों की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति एवं नियुक्ति संबंधी कलेन्डर तैयार करने के निर्देशो की पालना।	प्रभारी अधिकारी (उच्च शिक्षा) राजभवन द्वारा विश्वविद्यालयों से अशैक्षणिक पदों के संबंध में प्राप्त सूचना पर चर्चा की गई एवं पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा अशैक्षणिक पदों के संबंध में काफी समय पूर्व स्वीकृतियां दी गई है किन्तु विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत पदों पर नियुक्तियों हेतु प्रभावी व समयबद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।	सभी विश्वविद्यालयों को पूर्व में जारी निर्देशों के कम में नियुक्ति संबंधी केलेण्डर एवं स्वीकृत पदों को भरने संबंधी Action Plan तैयार कर राजभवन को 15 दिवस में भिजवाने का सुझाव दिया गया।	27.08.2018
4	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं के ऑर्डिनेन्स, स्टेट्यूटस, रेगूलेशन की स्थिति।	प्रभारी अधिकारी (उच्च शिक्षा) राजभवन द्वारा संज्ञान में लाया गया कि कई राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के स्वयं के ऑर्डिनेन्स, स्टेट्यूटस, रेगूलेशन अभी तक नहीं बने है,जबकि विश्वविद्यालयों को बने कई वर्ष हो चुके है। प0 दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के कुलसचिव द्वारा बताया गया कि उनके विश्वविद्यालय के स्टेट्यूटस बनाये जाकर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को प्रेषित कर दिये गये है।	सभी विश्वविद्यालयों को ऑडिनेन्स, स्टेट्यूटस एवं रेग्यूलेशन्स के संबंध में वस्तु स्थिति की सूचना 31.08.2018 तक राजभवन को भिजवाये जाने का आग्रह किया गया।	31.08.2018
5	इन्टीग्रेटेड हायर एजूकेशन पोर्टल के संबंध में DoIT&C को समस्त संबंधित सूचनाऐं उपलब्ध कराने संबंधी निर्देशो की पालना एवं DoIT&C द्वारा तैयार मॉड्यूल्स का कियान्वयन।	श्रीमती ज्योति लुहाड़िया, संयुक्त निदेशक, DoIT&C द्वारा बताया गया कि राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा इन्टीग्रेटेड हायर एजूकेशन पोर्टल के संबंध में पूर्व में जो सूचनाये प्रेषित क गई थी उन्हें अपडेट नही किया जा रहा है। यह पोर्टल विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बनाया गया है एवं सूचना अपडेट नहीं होने से इस पोर्टल के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। श्रीमती ज्योति ने यह भी बताया कि राजस्थान में एडमीशन मॉड्यूल 4 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों यथा–मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर; गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा; बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा लागू किया जा चुका है। श्रीमती ज्योति लुहाड़िया ने बताया कि संबद्धता मॉड्यूल (Affiliation Module) को लागू करने के संबंध में राजभवन में आयोजित मीटिंग में महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर द्वारा सहमति जताई गयी थी किन्तु बाद में विश्वविद्यालय द्वारा यह मॉड्यूल लागू नही किया गया।	राजभवन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के कम में इन्टीग्रेटेड हायर एजूकेशन पोर्टल के संबंध में समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा जो सूचनायें प्रेषित की गई थी उन्हें एक माह में अपडेट किया जाने तथा निरन्तर अपडेशन की प्रभावी व्यवस्था रखे जाने का सुझाव दिया गया। सत्र 2019--20 के लिए इन्टीग्रेटेड हायर एजूकेशन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रकिया बाबत् सूचना दिनांक 05.09.2018 तक श्रीमती ज्योति लुहाडिया को प्रेषित करें। कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर द्वारा कारणों की जांच कर इस संबंध में रिपोर्ट राजभवन को प्रेषित करने हेतु कहा गया। सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय संबद्धता मॉड्यूल (Affiliation Module) के संबंध में भी एक माह की अवधि में सूचना श्रीमती ज्योति लुहाड़िया को प्रेषित करें।	20.09.2018 05.09.2018 20.09.2018 20.09.2018

Scanned by CamScanner

6	राजभवन में प्राप्त शिकायती अभ्यावेदन जो राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को प्रेषित किये जाते हैं के संबंध में विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली शिकायत निवारण प्रणाली बाबत।	चर्चा की गई एवं इस संबंध में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों से सुझाव आमंत्रित किये गये।	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को राजभवन में प्राप्त शिकायती अभ्यावेदन के संबंध में एक नोडल अधिकारी नामित करने तथा कुलपति एवं कुलसचिव कार्यालय में ऐसे पत्रों का रिकॉर्ड रखा जाकर निस्तारण के अनुश्रवण की व्यवस्था किये जाने का भी सुझाव दिया गया।	20.09.2018
7	राजभवन द्वारा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को प्रेषित पत्रादि संबंधी लंबित प्रकरण	इस एजेण्डा बिन्दु पर विश्वविद्यालयों से one to one के आधार पर चर्चा की गई।	लंबित पत्रादि के प्रत्युत्तर आगामी 2 दिवस में राजभवन को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।	22.08.2018
8	राजभवन द्वारा दिनांक 21.04.2017 को जारी Ph.D Guideline संबंधी परिपत्र की पालना।	इस एजेण्डा बिन्दु के अधिकांश बिन्दुओं पर एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(i) के अनुरूप पूर्व में चर्चा हो चुकी थी।	समस्त विश्वविद्यालयों को राजभवन द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावे तथा प्रदेश से लेकर P.hd. अवॉर्ड तक प्रक्रिया में पूर्व पारदर्शिता बरती जाने का सुझाव दिया गया।	–

Scanned by CamScanner